न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 1/2025

उनवान

1. किशनसिंह पुत्र छोटू
2. जयसिंह पुत्र छोटू
3. भवंरसिंह पुत्र छोटू
4. रणजीतसिंह पुत्र छोटू
5. लक्ष्मणसिंह पुत्र छोटू
6. रामसिंह पुत्र छोटू जाति रावत नि.केरी की बेरी ग्राम राजोसी नसीराबाद

——— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री मंगलाराम चौधरी

बनाम

1. नैना पत्नि हुसैन
2. शरीफन पत्नि सुल्तान
3. हुसैन पुत्र शेरा
4. सुल्तान पुत्र शेरा जाति चीता नि. केरी की बेरी ग्राम राजोसी, नसीराबाद
5. मुकेशसिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति चीता नि. ग्राम खापरी भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
7. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया, भावानीखेडा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 7 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

8. किरण
9. मेवा सिंह
10. सज्जन पि. छोटू जाति रावत केरी की बेरी ग्राम राजोसी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 8 से 10 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.6.25

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी, तहसील नसीीराबाद के हाल खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.26, 4140 रकबा 0.29 व 4356 रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4352, 4353 व 4354 अप्रार्थीगण की खातेदारी का उपयोग करता है, जो सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 4361 से [illegible] उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास आवागमन हेतु कोई अन्य मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थी को 13 फिट चौडा रास्ता डी0एल0सी0 की दरो पर उपलब्ध कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये दिनांक 13.6.25 को उनके विरूद्ध, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 7 से 10 अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.26, 4140 रकबा 0.29 व 4356 रकबा 0.25 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 4352, 4353 व 4354 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रासर्थी के खेतों में जाने हीतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध नही होना बताया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के बदले नियमानुसार मुआवजा राशि भी दी जावेगी। प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 4354 में से 88 वर्ग मीटर, 4353 में से 56 वर्ग मीटर, 4352 में से 224 वर्ग मीटरी भूमि की आवश्यकता बतायी गयी है। प्राथीगण उक्त आराजी में से 4 मीटरर चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 4354 में से 88 वर्ग मीटर, 4353 में से 56 वर्ग मीटर व 4352 में से 224 वर्ग मीटर (4 वर्ग मीटर चौडा) भूमि तहसीलदार नसीराबाद निम्न सूची में अंकन अनुसार सबंधित खातेदार के खातें में मुआवजा राशि भुगतान होने के बाद निम्न खसरा नम्बर की आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे।

खसरा नम्बर	कुल रकबा	खातेदारी	मार्ग के लिये रकबा	मुआवजा राशि
4354	0.33	हुसैन पुत्र शेरा वगै.	88 वर्ग मीटर	9323/रूपये
4353	0.32	हुसैन पुत्र शेरा वगै.	56 वर्ग मीटर	5933/रूपये
4352	0.04	हुसैन पुत्र शेरा वगै.	224 वर्ग मीटर	23731/रूपये

पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested